UPMZ010078632026

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C. Act), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Anurag Panwar), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02638

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–3225/2026

बाबू पुत्र लतीफ, निवासी–ग्राम निराना, थाना–सिखेडा, जिला–मुजफ्फरनगर।

... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ... विपक्षी

मु0अ0सं0–92/2026, अन्तर्गत धारा–136, 137 विद्युत अधिनियम, थाना–छपार, जिला–मुजफ्फरनगर के मामले में आवेदक बाबू की ओर से यह जमानत प्रथम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया गया कि अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। वह बेगुनाह है, उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है तथा विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उससे किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त एक अन्य फर्जी मुकदमें अपराध सं0–138/2026 में बरामदगी दिखायी गयी है तथा उसमें उसकी जमानत स्वीकार हो चुकी है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

उक्त के विरोध में विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवर्तक को नीचे गिराकर उसके अन्दर की कॉयल एवं तेल को चुराया गया है। अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उसका जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

संक्षेप में अभियोजन कथन है कि दिनांक 07–05–2026 को वादी मुकदमा सचिन सैनी द्वारा थानाहाजा पर इस आशय की तहरीर दर्ज करायी गयी कि दिनांक 05–05–2026 को दोपहर के समय संविदाकर्मी लाईनमैंन शिवकुमार द्वारा उपकेन्द्र बसेडा पर सूचना दी कि उपकेन्द्र बसेडा के 11के0वी0 तेजलहेडा कृषि फीडर पर 25 के0वी0ए0 निजी नलकूप के ट्रांसफार्मर को रात्रि 04/05–05–2026 के समय अज्ञात चोरों द्वारा

Digitally signed by ANURAG PANWAR
Date: 2026.06.22 17:11:49 IST
Reason: Bail Order
Location: A.S.J. Court No.4/Spl. Judge (E.C. Act), Mzn

पोल से नीचे गिराकर उसके अन्दर के कॉयल व तेल को चोरी कर लिया है। उक्त के आधार पर मुकदमा कायम कर व कार्यवाही अमल में लायी गयी।

न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) के तर्कों को सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों (केस डायरी)/पत्रावली का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि उसके द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवर्तक को नीचे गिराकर उसके अन्दर की कॉयल एवं तेल को चुराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। उक्त मुकदमें से सम्बन्धित चोरी का कोई सामान अभियुक्त से बरामद नहीं हुआ है। अभियुक्त की संलिप्तता, एक अन्य मुकदमें में निरूद्ध जिला कारागार से तलब कर, दर्शायी गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत अपराध अन्तर्गत धारा–136, 137 विद्युत अधिनियम सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय मामले के गुणदोष पर अपनी राय जाहिर किये बगैर, अभियुक्तगण/आवेदकगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त पाती है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त बाबू पुत्र लतीफ द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को अंकन 50,000–50,000/– (पचास–पचास हजार) रूपये की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र दाखिल करने पर इन शर्तों पर रिहा किया जाये कि–

1– प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा–351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा–351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उनके विरूद्व धारा–269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त वाद के विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

(अनुराग पंवार)
ID: UP 2638
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 22–06–2026